राजकीय महाविद्यालय, नारनौंद

विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

1. जो विद्यार्थी किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसे चाहिए कि वह विधिवत् आवेदन – पत्र देकर अपना नाम कटवा ले अन्यथा उसे जुर्माना होता रहेगा और वह राशि उसकी प्रतिभूति (Security) में से काट ली जाएगी।
2. मेन्टर ग्रुप मीटिंग में तथा कॉलेज में मनाए जाने वाले उत्सवों में सम्मिलित होना आवश्यक है अन्यथा विशेष जुर्माना किया जा सकता है।
3. कॉलेज छोड़ने के बाद अपनी प्रतिभूति एक वर्ष के भीतर ही आवेदन–पत्र देकर ले जानी चाहिए अन्यथा वह कॉलेज निधि में जमा करा दी जाएगी।
4. महाविद्यालय में लड़ाई–झगड़ा ना करें। कानून को अपने हाथ में ना लें। यदि कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसकी सूचना तुरन्त ट्यूटर या प्राचार्य महोद्य को दें।
5. प्रतिदिन सूचना पट्ट अवश्य देखें ताकि महाविद्यालय में होने वाली गतिविधियों में भाग ले सकें।
6. खाली समय में पुस्तकालय का सदुपयोग करें। बरामदों में न घूमें, ऐसा करने पर दण्डित किया जाएगा।
7. कॉलेज प्रांगण में धुम्रपान अथवा किसी भी प्रकार का नशा करना अपराध है। ऐसा पाये जाने पर जुर्माना किया जाएगा तथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
8. कॉलेज में अपना पहचान–पत्र पहन कर रखें ताकि महाविद्यालय में आवांहित व्यकितयों के प्रवेश को रोका जा सकें।
9. कॉलेज प्रांगण को स्वच्छ रखें, दीवारों व फर्नीचर पर कुछ न लिखें, व महाविद्यालय के डस्टबीन का इस्तेमाल करें।।
10. कॉलेज की सम्पति को क्षति पहुँचाना दण्डनीय है। किसी प्रकार के फूलों को तोड़ना और खराब करना निषेद्ध है।
11. रैगिंग कानूनन जुर्म है। इसमें संलिप्त होने वाले विद्यार्थियों को निष्कासित कर दिया जाएगा तथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी।